REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229142 CG-DL-E-19082021-229142

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3128]नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2021/श्रावण 27, 1943No. 3128]NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2021/SHRAVANA 27, 1943

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

**का.आ. 3381(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के स्तम्भ क्रमश: (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए समझा जाएगा।

_	$\frown$	
ता	6	का

क्र. 	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण	
सं.	राजमार्ग संख्या		
(1)	(2)	(3)	
611	168 जी	गुजरात राज्य में महेसाणा के निकट रारा  – 68 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर	
		विसनगर-वडनगर-इंडर को जोड़ते हुए और शामलाजी के निकट रारा -48 के साथ अपने	
		जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	

[फा. सं. एनएच-14012/12/2016-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी, जिसे दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित, और बाद में अधिसूचना सं. का.आ. 3081(अ), दिनांकित 30 जुलाई, 2021 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2021

**S.O. 3381(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

TABLE
-------

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways	
(1)	(2)	(3)	
611	168G	The highway starting from its junction with NH-68 near Mahesana connecting Visnagar- Vadnagar- Idar and terminating at its Junction with with NH-48 near Shamlaji in the State of Gujarat.	

### [F. No. NH-14012/12/2016-P&M]

**RAJESH GUPTA**, Director

**Footnote:** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3081(E), dated 30<sup>th</sup> July, 2021.